दिनांक 20.04.16 को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकासखण्ड लालगंज के अन्तर्गत समग्र ग्राम पूरेतिलकराम में किये गये निरीक्षण की आख्या

दिनांक 20.04.16 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकासखण्ड लालगंज के अन्तर्गत वर्ष 2015--16 में चयनित समग्र ग्राम पूरेतिलकराम में खुली बैठक में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा तथा समीक्षा के उपरान्त स्थलीय सत्यापन किया गया। निरीक्षण के समय जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी लालगंज, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे।

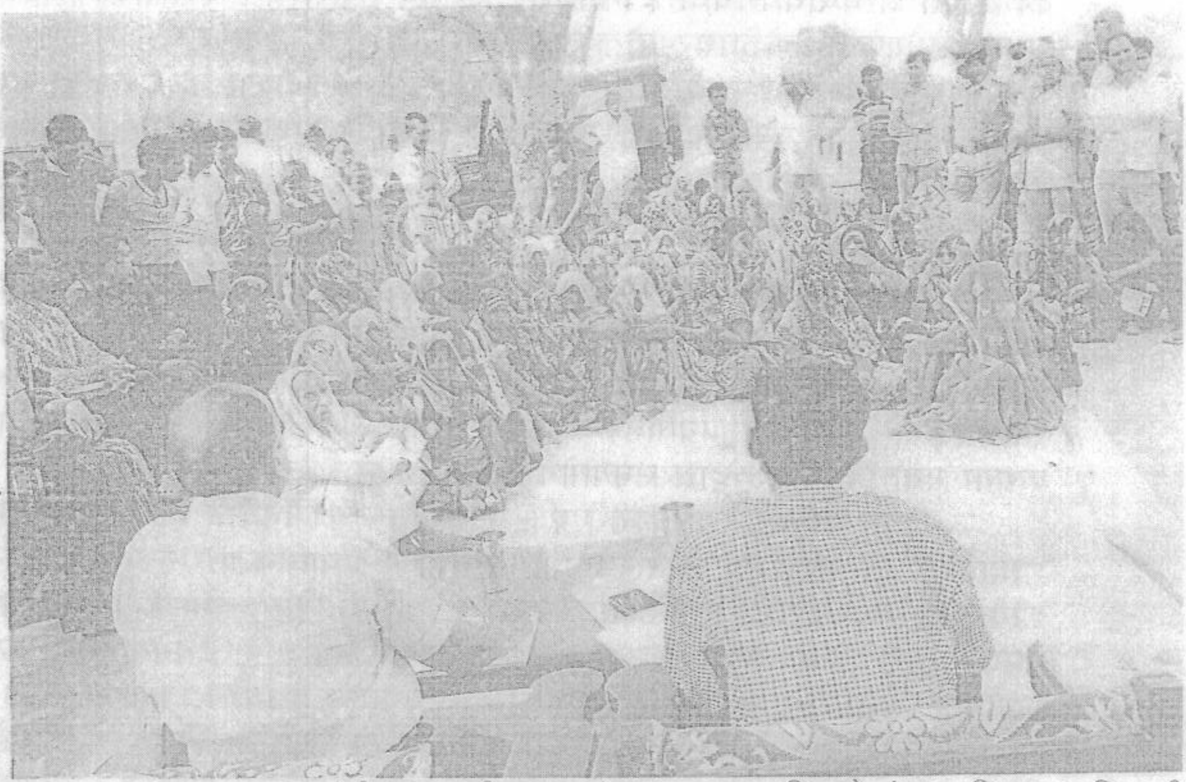

समग्र ग्राम पूरेतिलकराम की जनसंख्या 1880 जिसमे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 488 है। कुल परिवार 350 है। बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या 121 अन्त्योदय कार्डधारकों की संख्या 73 बतायी गयी। समग्र ग्राम पूरेतिलकराम के 12 मजरे क्रमशः ताजपुर, खलहिया पसियान, ताजपुर बगिया, ठाकुर की बाग, तिलकराम खास, तिलक का पुरवा, उसरहा, माधवरा, तिलमुहानी, ठकुरहिया, अमिलहा, खलहिया कुर्मियान है।

सत्यापन के दौरान स्थिति निम्नानुसार पायी गयीः—

विकास से सम्बन्धित

1—सम्पर्क मार्ग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड—1 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम के खलहिया पसियान में 150मी0 एवं तिलक के पुरवा(चमरौटी) में 250मी0 का कार्य स्वीकृत है। वर्तमान में खलहिया पसियान में गिट्टी डाली गयी है तथा तिलक के पुरवा में मिट्टी डाली गयी है। अधिशासी अभिन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड—1 को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार अविलम्ब सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूर्ण करायें।

2—विद्युतीकरण

ग्राम के सभी पुरवों में आंशिक विद्युतीकरण किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पुरवों का सर्वे कराया गया है किन्तु कार्य नही प्रारम्भ

.....2

ब—लोहिया ग्रामीण आवास योजना

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में 25 आवास का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें 22 आवासों की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अन्तरित है, इसमें 08 लाभार्थियों के आवास छत स्तर, 04 नींव स्तर पर तथा 05 लिंटर स्तर का व 05 पर कार्य अनारम्भ होना बताया गया, शेष 03 लाभार्थियों को लघु बैंक की समस्या होने के कारण धनराशि का अन्तरण नही हो सका है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दूसरी बैंक में खाता खुलवाकर डी0आर0डी0ए0 में मांगपत्र भेजा गया है। परियेाजना निदेशक को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब 03 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि का अन्तरण सुनिश्चित कराये। खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता पर 15 दिवस के भीतर छत स्तर तक पूर्ण कराते हुए द्वितीय किश्त का मांगपत्र भेजवाये तथा 08 आवास जो छत स्तर तक पूर्ण है, उनकी द्वितीय किश्त का मांगपत्र डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध कराये।

7—स्वच्छ पेयजल

ग्राम में निरीक्षण के दौरान कुल 34 इण्डिया मार्क—2 हैण्डपम्प स्थापित होना बताया गया। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा ताजपुर बगिया में राम चरन कोरी के घर के पास तथा अमिलहा पुरवे में अशोक सरोज के घर के पास रिबोर की मांग की गयी। मौके पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार उक्त हैण्डपम्पों को रिबोर कराकर अवगत कराये। साथ ही निर्देशित किया गया कि हैण्डपम्पों में छोटी—मोटी खराबियों को ग्राम पंचायत के माध्यम से ठीक कराया जाय।

8—प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय

ग्राम में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित है।

9—आंगनबाडी केन्द्र

ग्राम में 02 आंगनबाडी केन्द्र संचालित है जिसमें आंगनबाडी कार्यकत्री, सहायिका, आशा, ए0एन0एम0 उपस्थित मिली। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि नियमानुसार केन्द्र पर पुष्टाहार का वितरण किया जा रहा है। वी0एच0एन0डी0 में सभी ग्रामवासियों द्वारा सहयोग एवं प्रतिभाग करने का आग्रह किया गया। टीकाकरण के बारे में जानकारी करने पर ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया नियमित टीकाकरण किया जा रहा है।

10—सोलर स्ट्रीट लाईट

ग्राम में 16 सोलर लाईट स्थापित करायी गयी है। समीक्षा के दौरान ग्रामवासियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि सभी सोलर लाईट रात्रि में जलती है। उपस्थित ग्रामवासियों को परियेाजना अधिकारी, नेडा का मोबाईल नम्बर नोट करा दिया गया जिससे कभी भी खराबी आने पर इसे ठीक कराया जा सके।

11—तालाब जीर्णोद्धार

ग्राम रोजगार सेवक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में मनरेगा के अन्तर्गत विरमा तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है जिस पर रू0 3,12, 583.00 का व्यय कराते हुए 1880 मानवदिवस का सृजन किया गया है।

12—मनरेगा

ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पूर्व में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के

.....4

अन्त में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यो का सत्यापन स्वयं करलें एवं निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर उपलब्ध करायें।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
प्रतापगढ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ।

पत्रांक 75 /आशु/मु0वि0अ0/2016 दिनांक अप्रैल 20,2016

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0/उपायुक्त, श्रम रोजगार, प्रतापगढ।
3–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग(निर्माण खण्ड–1)/विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, प्रतापगढ।
4–जिला पंचायत राज अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम, प्रतापगढ।
5–समस्त नोडल जिला स्तरीय अधिकारी(डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना), जनपद प्रतापगढ।
6–जिला सूचना अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ।
7–खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज जनपद प्रतापगढ को अनुपालनार्थ।

20.04.16

मुख्य विकास अधिकारी
प्रतापगढ।